



संख्या- / जी०एस० / शिक्षा / A15-29 / 2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 27 फरवरी, 2019

महोदय,

कृपया हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के पत्रांक-1471/एचएनबीयूएमयू/सम्बद्धता/18-19 दिनांक 08 अगस्त, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरोग्य नर्सिंग कॉलेज, ग्राम करौंदी पो० भगवानपुर, रूड़की हरिद्वार उत्तराखण्ड को बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में 35 सीट के लिये शैक्षिक सत्र 2018-19 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया था।

2. मा० कुलाधिपति जी द्वारा प्रश्नगत सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल व कुलपति जी की संस्तुति एवं छात्रहित के दृष्टिगत हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-36(1) के अन्तर्गत उक्त संस्थान को बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में 35 सीट हेतु सत्र 2018-19 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति/अनुमोदन इस उपबन्ध के साथ दी गई है कि सम्बद्धता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा अधिनियम व यू०जी०सी० विनियमों के अनुसार लेते हुए तदनुसार सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत करने की कार्यवाही की जाये।

3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

4. तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या- 4502 (1) / जी०एस० / शिक्षा / A15-29 / 2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवों तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्प्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज-01, नई दिल्ली - 110020।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
6. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)

कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।